संख्या- 20/2018/542/71-1-2018-जी-312/2017

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 24 फरवरी, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में राजकीय मेडिकल कालेजों के विभिन्न विभागों हेतु उपकरणों के क्रय किए जाने हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2017/705, दिनॉक 27-12-2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेजों के विभिन्न विभागों हेतु उपकरण क्रय किए जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत निम्नांकित विवरणानुसार मेडिकल कालेजों/संस्थानों हेतु "मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 9,49,00,000.00 (रू0 नौ करोड़ उनचास लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष् प्रदान करते है-

क्र0	मेडिकल कालेज का नाम	धनराशि, जिसकी वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जा रही है। (धनराशि लाख में)
1	मेडिकल कालेज, कानपुर	75.00
2	मेडिकल कालेज, आगरा	75.00
3	मेडिकल कालेज, इलाहाबाद	75.00
4	मेडिकल कालेज, मेरठ	75.00
5	मेडिकल कालेज, झॉसी	75.00
6	मेडिकल कालेज, गोरखपुर	75.00
7	हृदय रोग संस्थान, कानपुर	25.00
8	जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर	10.50
9	मेडिकल कालेज, आजमगढ़	22.50
10	मेडिकल कालेज, सहारनपुर	42.50
11	मेडिकल कालेज, जालौन	22.50
12	मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर	22.50
13	मेडिकल कालेज, बॉदा	250.00
14	मेडिकल कालेज, कन्नौज	70.00
15	एम0डी0 नेत्र चिकित्सालय, इलाहाबाद	22.50
16	नशा विमुक्ति केन्द्र, आगरा	11.00
		949.00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों, स्टोर परचेज रूल्स एवं समय -समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।

6- डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।

7- प्रश्नगत उपकरण का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जाएगा तथा प्रश्नगत उपकरणों की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्म्रदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य की होगी।

8- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।

9- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन सुसंगत लेखाशीर्षक के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-उपकरणों की सूची।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्याः- 20/2018/542(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, झॉसी, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर, बॉदा, कन्नौज, गोरखपुर तथा झॉसी।
4- निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर तथा जे0 के0 कैंसर संस्थान, कानपुर।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, झॉसी, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर, बॉदा कन्नौज, गोरखपुर तथा झॉसी।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, झॉसी, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, जालौन, सहारनपुर, बॉदा कन्नौज, गोरखपुर तथा झॉसी।
7- नियोजन अनुभाग-4
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- संबंधित समीक्षाधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।